ग्राम पंचायत रोडा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रोड़ा, विकास खण्ड सुलह (भेडडू महोदव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रकाश चन्द मिश्रा	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती मंजू बाला	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अशोक कुमार	1.4.2014 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत रोडा के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों ₹ में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर पाया जाना	0.25
2	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
3	9	अनुदान राशि का उपयोग न करना	8.17
4	11	प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	6.76

5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	1.00
6	13	मजदूरों को कार्य प्रगति से अधिक भुगतान	0.15
7	14	निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की माप पुस्तिकायें प्रस्तुत न करना	1.38

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत रोड़ा, विकास खण्ड सुलह (भेडडू महादेव) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 11.7.2017 से 14.7.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	3/2015	10/2014
2015–16	10/2015	5/2015
2016–17	12/2016	2/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत रोडा, विकास खण्ड सुलह, (भेडडू महोदव) जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2017-001 दिनांक 14.7.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रोडा से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत रोडा द्वारा ड्राफ्ट संख्या 766445 दिनांक 20.7.2017 (काँगड़ा

सहकारी बैंक भवारना) द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत रोडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोत एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत रोडा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों (विविध) की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

		प्राप्ति		**योग**	**व्यय**		**अन्तिम शेष**
वर्ष	**अथशेष**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**		**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	
2014–15	1125276	49937	772288	1947501	13062	1050717	883722
2015–16	883722	50177	753802	1687701	11842	651222	1024637
2016–17	1024637	61704	582178	1668519	2701193	248599	1392808.07
			अन्तर				
		दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष					**₹1392908.07**

(ख) दिनांक 31.3.2017 को बैंक शेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**बैंक**	**खाता सं0**	**दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष**
1	पी0एन0बी0 गढ जमूला शाखा	2579000100018122	1198.56
2	पी0एन0बी0 गढ जमूला शाखा	2579000100349561	682.00
3	पी0एन0बी0 गढ जमूला शाखा	2579000100343123	1665.00
4	पी0एन0बी0 गढ जमूला शाखा	2579000100343220	34308.00
5	पी0एन0बी0 गढ जमूला शाखा	2579000100348207	191035.84
6	पी0एन0बी0 गढ जमूला शाखा	2579000100351627	796915.00
7	के0सी0 भवारना शाखा	20093004019	342467.00
	कुल योग		**1368271.14**
(ग)	**अन्तर (क–ख)**		**₹24636.93**

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹0.25 लाख का अन्तर पाया जानाः–

ग्राम पंचायत की रोडा की स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹24636.93 का अन्तर पाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों से बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की गई है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उसका शेष शून्य किया गया है। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है व लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया गया है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्य दिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा के पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया था अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹13480 की वसूली शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	**अथशेष**	**माँग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष (₹)**
2014–15	130	8500	8630	0	8630
2015–16	8630	9100	17730	13350	4380
2016–17	4380	9100	13480	0	13480

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹8.17 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹817448 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पचांयत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की

राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संस्था को किया जाये।

10 अनुदान ₹0.12 लाख को रोकड़ बही में दो बार दर्ज करने बारेः—

ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों की जाँच/मिलान रोकड़ बही एवं सम्बन्धित बैंक खातों से करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, उपमण्डल डरोह से पंचायत क्षेत्र में कार्यरत्त जल वितरक का वेतन माह 01/14 से 03/14 रोकड़ बही में दो बार दर्ज किया गया। पंचायत द्वारा प्रथम बार यह राशि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 25 में दिनांक 30.4.2014 को एवं पुनः पृष्ठ 33 पर दिनांक 14.10.2014 को रोकड़ बही में दर्ज किया गया। रोकड़ बही में दानों बार ही वहीं टिप्पणी (वेतन माह 01/14 से 03/14) दर्ज की गई है जबकि बैंक बचत खाता संख्या 2579000100018122 पंजाब नैशनल बैंक, शाखा गढ़ जमूला अनुसार यह राशि NEFT के माध्यम से दिनांक 30.4.2014 को प्राप्त की गई थी।

अतः एक ही अनुदान को रोकड़ बही में दो बार दर्ज करने के कारण पंचायत की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित न होने के अतिरिक्त यह लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इस चूक को रोकड़ बही में अविलम्ब ठीक किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹6.76 लाख अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "4(4)"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹675772 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा किए गये

व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.00 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹100352 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न हेने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय किए गये स्टोर का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	बिल सं0/दिनांक	राशि
1	मनरेगा	–	6.5.15	नरेन्द्र कटोच गाँव ढाटी डा0 रोहन	102/15.3.14	15225
2	सामान्य	18	21.10.14	आकाश प्रीटिंग प्रैस	234/13.9.14	4950
3	सामान्य	12	1.5.15	श्री कुलदीप चन्द ढाटी	159	18010
4	सामान्य	13	6.5.15	जगदम्बा स्टील इन्डस्ट्रीज भवारना	JSI/RET/004/01.5.15	55177
5	सामान्य	19	25.5.15	श्री विद्या राम औंकार नाथ भवारना	6761/5.6.15	6990
						100352

13 मजदूरी को वास्तविक कार्य प्रगति से ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान:–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में से वर्ष 2014–15 में वाउचर संख्या 16 दिनांक 4.10.2014 द्वारा ₹29160 का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 1 दिनांक 1.8.2014 से 27.8.2014 के माध्यम से "निर्माण कार्य पक्की नाली राकेश कुमार मदन लाल के घर के पास" हेतु किया गया है। उक्त मस्ट्रोल द्वारा किये गये कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप

पुस्तिका 6717 पृष्ठ 72–73 की जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल के विरूद्ध कार्य प्रगति मात्र ₹19068 ही बनती है एवं नियमानुसार मजदूरों को इससे अधिक मजदूरी देय नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा ₹19068 की कार्य प्रगति के विरूद्ध ₹29160 का भुगतान मजदूरी के रूप में करने के कारण मजदूरों को ₹10092 का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में राशि जमा करवाई जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही में से ₹31450 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्न वर्णित विवरण अनुसार किया गया है।

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	कार्य का नाम	मस्ट्रोल की राशि	15% कम करने उपरान्त देय राशि	अधिक भुगतान (₹)	माप पुस्तिका/पृ0
1	35	14.2.17	3227, 3228	3.1.17 से 15.1.17	निर्माण कूहल शमशान घाट	16490	14058	2432	9002/12
2	36	14.2.17	3229, 3230	3.1.17 से 15.1.17	निर्माण कूहल रोडा	14960	12897	2063	9002/13
							योग	**4495**	

उक्त निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों का मिलान सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में दर्ज कार्य प्रगति से करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संविदाकार लाभ व अन्य खर्च (Contractor Profit and overhand charge) हेतु कम की जाने वाली 15% राशि को माप पुस्तिका में दर्ज कार्य प्रगति से कम नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार विभागीय स्तर पर कार्य करवाये जाने के कारण कुल कार्य प्रगति से 15% कार्य प्रगति की राशि कम की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार पंचायत द्वारा मजदूरों को मजदूरी के रूप में ₹4495 का अधिक भुगतान (विवरण अनुसार) किया गया है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अधिक भुगतान राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

14 निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय ₹1.38 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत रोडा, द्वारा ₹137578 का व्यय/भुगतान अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में से मजदूरों को मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0 क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	कार्य का विवरण	राशि (₹)
1	17	10.10.14	3	1.9.14 से 30.9.14	निर्माण सम्पर्क मार्ग गढ़ चाहमैन रोड से छलैडी तक	65730
2	11	6.5.15	13	1.3.15 से 29.3.15	निर्माण चन्द्र भानू द्वार	35942
3	14	6.5.15	11	1.1.15 से 15.1.15	विश्राम घर शमशान घाट धीमान बस्ती	17036
4	15	25.5.15	14	1.5.15 से 21.5.15	–यथोपरि–	18870
					योग	**137578**

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित मस्ट्रोलों/विवरण द्वारा मजदूरों को मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिनके अभाव में इस बात/तथ्य की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि उक्त मस्ट्रोलों द्वारा किये गये कार्य हेतु मजदूरों को इतनी/दी गई मजदूरी देय थी अथवा नही?

अतः उपरोक्त वर्णित मस्ट्रोलों द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की कार्य प्रगति से सम्बन्धित अभिलेख/माप पुस्तिकों जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि देय मजदूरी एवं उसके विरूद्ध किये गये कार्य की कार्य प्रगति की जाँच तदानुसार अंकेक्षण में की जा सके।

15 गृहकर की वसूल राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में देरी से करनाः–

ग्राम पंचायत की गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 7.9.2015 को रसीद संख्या 44701 से 44798 द्वारा गृहकर ₹7150 एकत्र किया गया। परन्तु

रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि दिनांक 12.10.2015 को लगभग एक माह बाद कर राशि जमा की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वसूल गृह कर राशियों की प्रविष्टि रोकड़ बही में देर से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में वसूल राशियों की प्रविष्टि व राशि को अगले कार्यदिवस में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11 व 12	37, 38
6	स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में वर्णित प्रावधानों एवं अभिलेख के रख रखाव के प्रति विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 131/2017—खण्ड—1—7369—7372 दिनाँक 30.12. 2017शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत रोडा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881